डा0 अम्बेडकर इस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी फार हैण्डीकैप्ड, अवधपुरी, कानपुर.–208024

अल्पकालिक निविदा

संस्थान के छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में इच्छुक पार्टियां अपनी दरें एवं शर्तें 07 दिन के अन्दर संस्थान को शीलबन्द लिफाफे में उपलब्ध करायें। विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाइट www.aith.ac.in पर उपलब्ध है।

12/10/22

सहायक कुलसचिव

डॉ अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी फार हैण्डीकैप्ड, उ0प्र0, कानपुर–208024

बाहय छात्रावास हेतु निविदा की शर्तें

1. 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु छात्रावास में विद्युत कनेक्शन के साथ–साथ जेनेरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।
2. छात्रों की सुरक्षा हेतु छात्रावास में सी.सी.टी.वी. कैमरों की व्यवस्था अनिवार्य है।
3. छात्रावास कम से कम 400 वर्ग गज अथवा उससे अधिक के भुखण्ड पर निर्मित होना चाहिए तथा कमरे हवादार होने चाहिए। छात्रावास में पर्याप्त मात्रा में बाथरूम एवं शौचालय होने चाहिए। प्रति 08 छात्रों पर एक बाथरूम एवं एक शौचालय की न्यूनतम व्यवस्था होना अनिवार्य है।
4. छात्रावास के अंतःवासी छात्रों के जलपान/भोजन आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराना अनिवार्य है। भोजन व्यवस्था हेतु छात्रावास परिसर में ही पृथक स्थान /मेस उपलब्ध होनी चाहिए तथा छात्रों को बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था होनी चाहिए।
5. छात्रावास प्रबन्धक को किसी सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान के छात्रों को छात्रावस में रखने एवं छात्रावास को संचालित करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। इस हेतु छात्रावास प्रबंधक को संबंधित सरकारी शिक्षण संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र एवं संस्थान तथा छात्रावास प्रबंधक के मध्य किये गये अनुभव की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. छात्रों के पीने के पानी हेतु आर0ओ0 वाटर एवं वाटर कूलर की व्यवस्था भी छात्रावास में अनिवार्य है।
7. छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु चिकित्सक की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। इस हेतु चिकित्सक की सहमति का पत्र संलग्न होना चाहिए।
8. छात्रावास में छात्रों के आवागमन हेतु कम से कम एक वाहन की व्यवस्था स्थायी तौर पर उपलब्ध होनी चाहिए तथा वाहन छात्रावास परिसर में सदैव उपलब्ध रहना चाहिए, जिससे किसी आपात स्थिति में छात्रों को आवागमन भी उपलब्ध हो सके। अतः वाहन उपलब्धता के संबंध में अभिलेख भी उपलब्ध कराया जाय।
9. छात्रावास की सफाई आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
10. पढ़ाई के दृष्टिगत छात्रावास के आस–पास शोरगुल इत्यादि संबंधित गतिविधियां नहीं होनी चाहिए।
11. छात्रावास हेतु प्रति छात्र एवं प्रतिमाह की दरें उपलब्ध कराई जाय।
12. छात्रावास संचालक द्वारा कोविड–19 की वर्तमान गाइडलाइन्स अनुसार साफ–सफाई, भोजन इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।